अपील क्रमांक 210/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /02/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 210/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री अब्दुल शेख करीम, सड़क नं.–1, कसारीडीह, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन–491001 मो.नं. 7580999099	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.02.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अब्दुल शेख करीम द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 320250214001918, दिनांक 14.02.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 28.02.2025 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 2.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2024 तक आपके बिलासपुर सर्किल, जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधीनस्थ समस्त संभागों में DMF फण्ड से प्राप्त बजट आवंटन का ब्यौरा एवं उससे कराए कार्यो का ब्यौरा तथा उन कार्यो का वर्तमान भौतिक स्थिति की प्रमाणित प्रति" उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18.11.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन आई डी क्र. 320250214001918, दिनांक 14.02.2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 14.02.2025 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को समय दोपहर 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से तथा आनलाइन सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 28.02.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा काई जानकारी नहीं दिये जाने कारण, जानकारी दिलाये जाने हेतु प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2024 को सुनवाई में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220241118009517, दिनांक 18.11.2024 जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 18.11.2024 को प्राप्त हुआ। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (3) (ii) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/246/छ.ग./2024/10250, दिनांक 20.11.2024 को हस्तांतरित किया गया।

..........2

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर ने आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी का निकटतम संबंध, अन्य लोकप्राधिकारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण उस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (3) (ii) के तहत दिनांक 20.11.2024 को हस्तांरित करते हुये तत्संबंध में आवदेक को अवगत कराया गया। यदि आवेदक जनसूचना अधिकारी के आवदेन हस्तांतरण से असंतुष्ट थे, तो उन्हें अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत 30 दिनों में अर्थात दिनांक 20.12.2024 तक इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत करनी थी, किन्तु आवेदक द्वारा लगभग 2 माह पश्चात् 14.02.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। यदि आवेदक को जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी हो, उस स्थिति में आवेदक/अपीलार्थी को उस लोकप्राधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करनी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रथम अपील को अन्य प्रथम अपीलीय अधिकारी को हस्तांतरित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, अपील हेतु निर्धारित समय–सीमा व्यतीत होने के बावजूद न्याय की दृष्टि से प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण का अवलोकन किये जाने पर प्रथम अपील के निराकरण किये जाने हेतु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर द्वारा की गयी कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है अथवा इस कार्यालय द्वारा ही जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है? प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित ज्ञानकारी का अध्ययन किया गया। आवदेक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में संधारित किये जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आता है। अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा, आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी का निकटतम संबंध अन्य लोकप्राधिकारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण उस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (3) (ii) के तहत दिनांक 20.11.2024 को हस्तांरित किये जाने की कार्यवाही, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी "अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2024 तक आपके बिलासपुर सर्किल, जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधीनस्थ समस्त संभागों में DMF फण्ड से प्राप्त बजट आवंटन का ब्यौरा एवं उससे कराए कार्यो का ब्यौरा तथा उन कार्यो का वर्तमान भौतिक स्थिति की प्रमाणित प्रति" का निकटतम संबंध अन्य लोकप्राधिकारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण उस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (3) (ii) के तहत दिनांक 20.11.2024 को हस्तांरित किये जाने की कार्यवाही, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत समयसीमा में की गयी कार्यवाही होने तथा इस कार्यालय स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही लंबित नहीं होने के फलस्वरूप, प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./210/बो.प्र./नि.स./2025/1976 नवा रायपुर, दिनांक 28 /02/2025

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री अब्दुल शेख करीम, सड़क नं.–1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन–491001 मो.नं. 7580999099 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

28/2/25

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)